(149)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2170–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–5–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 266/2013–14/अपील.

शारदा बाई पति चिन्तामण
निवासी ग्राम धतूरिया
तहसील सांवेर जिला इन्दौर .....आवेदिका

विरूद्ध

1– गीताबाई बेवा चिंतामण
2– सुशीला पिता चिंतामण
निवासीगण ग्राम धतूरिया
तहसील सांवेर जिला इन्दौर
3– गोदाबाई पिता चिंतामण
निवासी ग्राम चांदेर
तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
4– आनन्दीबाई पिता चिंतामण
निवासी ग्राम तलावली
तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
5– रामचरण पिता चिंतामण
6– गजराजसिंह पिता चिंतामण
निवासीगण ग्राम धतूरिया
तहसील सांवेर जिला इन्दौर .....अनावेदकगण

श्री सुश्री प्रिया वर्मा, अभिभाषक, आवेदिका
श्री डी.एन. जोशी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/9/16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–5–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा ग्राम धतुरिया स्थित सर्वे कमांक 31 रकबा 0.263, 52/2 रकबा 0.401, 286/1 रकबा 2.508, 287/4 रकबा 1.587, 292/1 रकबा 0.503 एवं 372/2 रकबा 4.048 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में रिकार्ड दुरूस्ती हेतु तहसीलदार, सांवेर जिला इन्दौर के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के अंन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 27/अ–6(अ)/2012–13 दर्ज कर दिनांक 6–6–13 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र खारिज किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर जिला इन्दौर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–3–14 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–5–2014 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 21–6–2017 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ रखा गया था कि उभय पक्ष के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु आवेदिका की ओर से नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों तथा आवेदिका की ओर से निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया गया जा रहा है । आवेदिका की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय ने मामले के स्वरूप को समझे बगैर ही आदेश पारित किया गया है, जो कि विधि विधान और वस्तुस्थिति के विपरीत एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है ।

(2) यह निर्विवादित है कि दाविया सम्पत्ति आवेदिका की वाडिलोपार्जित सम्पत्ति है, और विधि अनुसार भूमिस्वामी चिंतामण की वारिस होने से आवेदिका बराबर की हकदार है,

किन्तु राजस्व अभिलेखों में उसके नाम का इन्द्राज होना छूट गया था, इसलिए उक्त इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होकर गलत है ।

(3) त्रुटिपूर्ण और गलत इन्द्राज को ठीक करने का अधिकार तहसीलदार को है, किन्तु उन्होंने यह मानकर आदेश पारित किया है कि उन्हे गलत इन्ट्री अथवा छूट गई इन्ट्री को दुरूस्त करने का अधिकार नहीं है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों पर कोई विचार कर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 114, 115 एवं 116 के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण और गलत इन्द्राज को ठीक करने का अधिकार तहसीलदार को है, किन्तु जो इन्द्राज ही नहीं है, उसके लिए नवीन प्रविष्टि इन धाराओं के अन्तर्गत नहीं की जा सकती है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालयो के सभी आदेश संहिता की धारा 114, 115 एवं 116 के प्रावधानों के अनुकूल हैं ।

(3) संहिता की धारा 114, 115 एवं 116 के प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर राजस्व अभिलेखों में चिंतामण के वारिस की हैसियत से आवेदिका का नाम जोड़ने का आदेश प्रदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संहिता की धारा 115, 116 के तहत कोई भी नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती है । संहिता की धारा 114 के अन्तर्गत तैयार रिकार्ड में ही त्रुटि सुधार किया जा सकता है, जबकि आवेदिका का आवेदन पत्र नवीन प्रविष्टि से सम्बन्धित होने से इस धारा के तहत पोषणीय नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने पिता के स्थान पर अपरोक्ष रूप से अपना नाम दर्ज करने का उपचार चाहा गया है। इस संबंध में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत है कि आवेदिका द्वारा जो उपचार चाहा जा रहा है वह संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत

दिया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है । अतः इस संबंध में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–5–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर